



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP9411888

10/22/2022



जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-06
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	3	पृष्ठ संख्या वर्तमान	70	थाना न.	126

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगातार	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
11888	3945 /R27 2019 - 2020	साबलपुर/ 126	गोविन्दपुर	17/01/2020	By Sale Registration Deed 8424 Dated 12/12/2015	19 3 36	36	19 696 5.8 डिस्मील	10	

पता का नाम :

SMT VANDANA SINHA पति-SRI DILIP KUMAR
SINHA, जाति-कायस्थ, पता-NEW BCCL COLONY PS
JUGDA DIST BOKRAO)

जमाबंदी रैयत का नाम :

SRI DEEPAK KUMAR-पिता-LATE PRADUMAN LAL

विक्रेता का नाम :

SRI DEEPAK KUMAR, पिता-LATE PRADUMAN LAL,
जाति-कायस्थ, पता-KARMIK NAGAR SARAIDHELA PS
SARAIDHELA DIST DHANBAD JHARKHAND

राजस्व कर्मचारी हलका-06 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
ह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
सका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by

BANDANA BHARTI

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर



कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

Vandana Binda



Duplicate Copy
22-Oct-2022

आदेश

तिथि
Jan 17 2020

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा साबलपुर थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
19	696	0 एकड़, 5.8 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI DEEPAK KUMAR	पिता	LATE PRADUMAN LAL

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 8424 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI DEEPAK KUMAR	पिता	LATE PRADUMAN LAL

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **10 रुपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
BANDANA BHARTI
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Bandana Sinha

